156 22 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) के सशक्तिकरण पर विशेषज्ञों के तदर्थ समूह की सिफारिशें – नवरत्न और मिनिरत्न सीपीएसई को बजटीय सहायता पर जारी किया गया स्पष्टीकरण

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 22.07.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई/11 (2)/97 –वित्त और दिनांक 09.10.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई/11/36/97–वित्त का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिनमें यह उल्लेख किया गया था कि नवरत्न और मिनिरत्न सीपीएसई बजटीय सहायता पर निर्भर नहीं रहेंगे।

2. चूंकि सरकार ने उपर्युक्त स्थिति की समीक्षा की है और अब यह स्पष्ट करने का निश्चय किया गया है कि राष्ट्रीय हित की सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं और सरकार द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयान हेतु बजटीय सहायता से सीपीएसई अपना नवरत्न और मिनिरत्न दर्जा बनाए रखने में अनअर्हक नहीं होंगे। तथापि ऐसी परियोजनाओं के लिए निवेश संबंधी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाएंगे, संबंधित सीपीएसई द्वारा नहीं।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णय को नोट करें और इस संबंध में अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई को उपयुक्त ढंग से सलाह दें।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 18 (16)/2005–जीएम–जीएल–84, दिनांक 28 मई 2007)

*****